



भारतीय संसद

आधार संदर्शिका

ऐतिहासिक लोक सभा

विचार-विषय

२००८ भारत-अमरीकी असैन्य परमाणु
समझौते के प्रावधानों पर विवेचना
स्थावर दिनांक : २२ जुलाई २००८

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मम् ।

धर्मो न सो यत्र न चास्ति सत्यं, सत्यं न तद् यच्छलनानुविद्धम् ॥

- अर्थात् जिस सभा में वृद्धजन (अनुभवी जन) नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहें वे वृद्धजन (अनुभवी जन) नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो, वह सत्य नहीं।

सभी प्रतिनिधियों को सादर प्रणाम,

जेपी संयुक्त राष्ट्र प्रतिरूप के आठवें सत्र की लोक सभा समिति में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत आमोद का अनुभव हो रहा है। महाभारत से लिया गया उपरोक्त श्लोक संसद में अंकित किया गया है और आशा है की अगले दो दिन चलने वाली इस समिति के दौरान, आप इस श्लोक को प्रेरणास्त्रोत मानते हुए सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनेंगे।

भारतीय संसद को निसंदेह लोकतंत्र का मंदिर माना गया है।

ब्रिटिश संसद के विपरीत, यह सर्वोच्च संस्थान न होते हुए भी भारतीय संविधान का आधार है अतः लोकसभा हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है। यह समिति संयुक्त राष्ट्र की बाकि समितियों से भिन्न है अतएव इसकी कार्यप्रणाली भी अलग है। फलतः लोक सभा की कार्यवाही में कुछ बेतकल्लुफी की सम्भावना हो सकती है लेकिन वह संसदीय शिष्टाचार के अधीन होना चाहिए।

आज हमारे समक्ष एक ऐसा विचार-विभाजक विषय है जिसका प्रभाव इस देश की आने वाली कई पीढ़ियों पर होगा। समिति में प्रलेख प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रतिनिधियों की प्राथमिकता मतैक्य बनाने की होनी चाहिए इस लिए मुख्यतः परिचर्चा पर ध्यान देना उचित होगा।

आपका अन्वेषण इस संदर्शिका की सीमाओं से परे है। अतः किसी तथ्य के आधार पर सिद्ध किया गया तर्क प्रशंसा योग्य है।

इस संदर्शिका के अनुसार सम्बंधित तथ्य, आकड़ों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करने के उपरांत उनकी वैध्यता तथा व्यावहारिकता जरूर देख लें। संयुक्त राष्ट्र प्रतिरूप के एक अच्छे प्रतिनिधि बनने में यह मापदंड सहायक होते हैं।

किसी भी प्रकार की सहायता के लिए निःसंकोच संपर्क करें।

सविनय सेवक,

अनिमेश मोहन।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार

भारत में परमाणु शक्ति कि पृष्ठभूमि-

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सन १९०१ में पहली बार पर्याप्त मात्रा में पिचब्लेंड, यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी अयस्कों कि खोज करी | हलाकि, आगामी ५० वर्षों में इस संसाधन का उपयोग करने कि दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया |

वर्ष १९३९ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक-विज्ञान के पालित प्रोफेसर श्री मेघनाद साहा ने परमाणु विखंडन कि प्रभुता को समझते हुए, अपनी प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग किये और १९४० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अधिस्नातक पाठ्यक्रम में परमाणु विज्ञान को शामिल किया।

सन १९४४ में, परमाणु विज्ञान के प्रख्यात वैज्ञानिक श्री होमी भाभा ने बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में एक भौतिकी अनुसन्धान केंद्र खोलने हेतु आर्थिक सहायता मांगते हुए अपने संबन्धी श्री जे.आर.डी. टाटा को एक पत्र लिखा। अगले ही वर्ष मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसन्धान संस्थान कि भी स्थापना हुई।

२३ मार्च, १९४८ को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में परमाणु शक्ति विधेयक प्रस्तुत किया जिसे बाद में भारतीय परमाणु ऊर्जा-शक्ति कानून के नाम से सहमति मिल गयी |

१९४६ के ब्रिटिश परमाणु ऊर्जा कानून के प्रतिरूप, इस विधेयक ने केंद्र सरकार को परमाणु विज्ञान, परमाणु अयस्कों का सर्वेक्षण, औद्योगिक स्तर पर इन संसाधनों का विकास, परमाणु ऊर्जा के असैनिक प्रयोजन से जुड़ी वैज्ञानिक अन्वेषण एवं तकनीकी समस्याओं पर अनुसन्धान, भारतीय प्रयोगशालाओं, शिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में कर्मचारी वर्ग के प्रशिक्षण और परमाणु विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए असीमित अधिकार प्रदान किया |

१ जून १९४८ को परमाणु ऊर्जा संशोधन कि सलाहकार-समिति और उसकी मूल संगठन सी.एस.आई.आर. का विलय कर दिया गया और फलतः इसे प्रधान मंत्री के अधीनस्थ कर दिया। ३ अगस्त १९४८ को, भारतीय परमाणु ऊर्जा समिति को वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग से अलग कर श्री भाभा को इसका अध्यक्ष घोषित कर दिया गया |

परमाणु ऊर्जा समिति कि १५ मार्च, १९५५ को हुए एक अधिवेशन में, ट्रॉम्बे में एक सामान्य परमाणु रिएक्टर बनाने का निर्णय लिया गया। इस संयंत्र का इस्तेमाल कर्मचारियों के प्रशिक्षण, भविष्य में परमाणु-विज्ञान सम्बंधित प्रयोग, चिकित्सीय, कृषिक तथा औद्योगिक विकास हेतु परमाणु समस्थानिक एवं प्रदीपन के अध्ययन के लिए किया जाने वाला था। अक्टूबर १९५५ में, ब्रिटिश परमाणु शक्ति समिति और भारतीय परमाणु ऊर्जा-शक्ति विभाग के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत स्थित पूल-टाइप परमाणु रिएक्टर के लिए ब्रिटेन ने यूरेनियम प्रदान करने का वादा किया। इस समझौते को आगे बढ़ाते हुए, ब्रिटिश समिति और भारतीय प्राधिकरण ने परमाणु ऊर्जा-शक्ति के असैनिक उपयोग एवं भविष्य में 'अप्सरा' नामक आधुनिक एवं १००*५०*७० फीट विशाल परमाणु संयंत्र बनाने हेतु एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर ४ अगस्त १९५६ को शाम ३:४५ पर बनकर तैयार हुआ और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने २० जनवरी १९५७ को इसका उद्घाटन किया।

अप्रैल १९५५ में, तत्कालीन कैनेडियन प्रधानमंत्री लुइस लॉरेंट ने कैनेडियन सरकार की तरफ से कोलॉंबो योजना के तहत एक आधुनिक NRX - टाइप परमाणु रिएक्टर बनाने हेतु भारत की तरफ मदद का हाँथ बढ़ाया। प्रधानमंत्री लुइस लॉरेंट को आशा थी कि यह रिएक्टर भारत में असैनिक परमाणु अनुसन्धान एवं विकास को एक कदम आगे लेकर जायेगा। जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और साथ ही साथ कोलॉंबो योजना को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रमाणित विदेशी वैज्ञानिक को इस पर काम करने की अनुमति दे दी।

फरवरी १९६० आते-आते भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गयी और पश्चिम भारत, राजस्थान, दिल्ली या मद्रास जैसी जगहों में भविष्य में विद्युत्-उत्पादक रिएक्टर को बनाने का निर्णय लिया गया। ११ फरवरी १९६० को, भारत सरकार ने महारष्ट्र के तारापुर जिले में परमाणु ऊर्जा-शक्ति संयंत्र बनाने हेतु वैश्विक स्तर पर निविदा जारी करी। इस संयंत्र में १५० मेगावाट के दो रिएक्टर बनने थे जिन्हे १९६५ में अधिकृत किया जाना था।

स्माइलिंग बुद्धा तथा अनुवर्ती परमाणु विलगन-

१९७१ के भारत-पाक युद्ध से पूर्व, भारत परमाणु हथियारों को लेकर उभयभावी रहा और उनके उत्पादन को कभी प्राथमिकता नहीं दी। हलाकि जब दिसंबर १९७१ में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को भयभीत करने के उद्देश्य से बंगाल की खाड़ी में USS-एंटरप्राइज (CVN-65) के नेतृत्व में युद्ध-वाहक बल भेजा, तब सोवियत संघ ने भी इसका जवाब देने के लिए परमाणु मिसाइल से लैस पनडुब्बी को US टास्क-फोर्स का पीछा

करने क्लादिवोस्टोक से रवाना कर दिया। सोवियत यूनियन की इस गतिविधि ने इंदिरा गाँधी का ध्यान परमाणु हथियारों की निवारक क्षमता और प्रक्षेपात्र-पनडुब्बी के महत्व की तरफ खींचा। पाकिस्तान को राजनैतिक स्तर पर दो हिस्सों में बाटने वाली वार्ता को मानते हुए, भारत को सैनिक एवं राजनैतिक स्तर पर पाकिस्तान से बढ़त मिली ।

युद्धोपरांत श्रीमती इंदिरा गाँधी अपने लोकप्रियता के चरम पर थीं जब ७ सितम्बर १९७२ को उन्होंने BARC को परमाणु यन्त्र बनाने और उसके परीक्षण के लिए अधिकृत किया। कदाचित भारतीय सेना को इस परीक्षण में शामिल नहीं किया गया था परन्तु सेना के आला कमान को इस परीक्षण के हर पहलु के बारे में जानकारी प्राप्त थी । भारतीय सरकार की निगरानी में, वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना की, इस परीक्षण को पूरा करने में सहायता करी ।

इन गतिविधियों का जवाब, सभी परमाणु प्रदायकों ने अपने अपने तरीके से दिया है जिससे भारत की परमाणु योजना पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व की प्रमुख परमाणु ताकतों ने भारत और पाकिस्तान पर तरह-तरह के तकनीकी अवरोध पैदा करने की कोशिश करी । परमाणु योजना को अपनी विश्वसनीयता साबित करने में कई वर्ष लग गए। विदेशी प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी सहायता पर हमारी निर्भरता और स्वदेशी संसाधनों की कमी इसका प्रमुख कारण थे । प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने हाइड्रोजन बम के नक्शे को अधिकृत करने के बावजूद IAEA में यह घोषणा करी की भारत कभी भी परमाणु योजना के सैन्यीकरण के पक्ष में नहीं रहा है ।

१९७५ के आपातकाल के फलस्वरूप, इंदिरा गाँधी की सरकार बिखर गयी और भारत की परमाणु योजना एक कुशल नेतृत्व एवं मूलभूत सुविधाओं के आभाव में अधर में चली गयी। १९८० में आम चुनाव के बाद इंदिरा गाँधी की वापसी हुई और १९८१ परमाणु योजना को रफ्तार मिली । पाकिस्तान की अस्थिरता को देखते हुए इंदिरा गाँधी ने किसी भी अतिरिक्त परमाणु परीक्षण की दरखास्त को नामंजूर कर दिया । इसके बावजूद परमाणु योजना को आगे बढ़ने से कोई न रोक सका और भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व. अब्दुल कलाम की देखरेख में हाइड्रोजन बम और मिसाइल योजना का काम तेज़ी से शुरू हो गया ।

११ मई १९९८ को, एक विलयन और दो विखंडन परमाणु बम के प्रस्फोटन के साथ ही ऑपरेशन शक्ति यानि कि पोखरण द्वितीय का आरम्भ हुआ । १३ मई १९९८ को, दो अतिरिक्त विखंडन यंत्रों का प्रस्फोटन हुआ और शीघ्र ही भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को पूर्णतः पक्षयुक्त परमाणु राज्य घोषित कर दिया ।

प्रधानमंत्री का २००५ का अमरीकी दौरा और समझौता -

इस समझौते का ढांचा १८ जुलाई २००५ को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह और अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के संयुक्त कथन के रूप में सामने आया जिसमें भारत ने असैन्य एवं सैन्य परमाणु सुविधाओं को विभाजित कर, असैन्य परमाणु सुविधाओं को आई.ए.ई.ए. के सुरक्षित निरीक्षण में देने का फैसला किया और बदले में अमेरिका ने भारत को पूर्णतः असैनिक परमाणु सहयोग के लिए आश्वस्त किया ।

इस समझौते को अमलीजामा पहनाने में तीन वर्ष से अधिक समय लग गया क्योंकि इसे कई जटिल पड़ावों से गुजरना पड़ा, जिसमें अमेरिका का स्वदेशी कानून, १९५४ का परमाणु ऊर्जा-शक्ति विधेयक, भारत की असैन्य-सैन्य परमाणु पृथक्करण योजना, भारत-आई.ए.ई.ए. अभ्युपात्र समझौता शामिल थे ।

अपने आखिरी चरण में इस समझौते ने भारत की सभी असैन्य परमाणु संसाधनों को संरक्षण प्रदान किया तथा संवेदनशील उपकरणों और तकनीकियों को और असैन्य संसाधनों को आई.ए.ई.ए. के संरक्षण से बाहर किया ।

हार्ड विधेयक :-

हेनरी जे. हार्ड भारत-अमरीकी परमाणु ऊर्जा शक्ति सहकारिता विधेयक (२००६), जिसको हार्ड विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, अमेरिका का वह स्वदेशी कानून है जो की अमरीकी परमाणु ऊर्जा विधेयक के सेक्शन १२३ में चिन्हित की गयी औपचारिकताओं को परिवर्तित करते हुए, भारत को परमाणु सहयोग प्रदान करने तथा १२३ समझौते को प्रगतिशील बनाते हुए २००५ के संयुक्त कथन को संचालित करने की अनुमति देता है । हार्ड विधेयक भारत द्वारा लिए गए स्वावलम्बी निर्णयों को बाध्य नहीं करता कदाचित विगतकाल में अमरीकी प्रतिक्रिया के आदेशकों का अन्वय करता है । विना अधिवेशन के अनुसार, १२३ समझौते जैसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को हार्ड विधेयक जैसा अंदरूनी कानून अभिभूत नहीं कर सकता ।

१२३ समझौता द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहकारिता को सीमांकित करता है तथा इसके लिए स्वतन्त्र रूप से अमरीकी कांग्रेस और भारतीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । भारत को अपने परमाणु ऊर्जा-शक्ति क्षमता में २५००० मेगावाट तक की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने में यह सहायक होगा ।

२ मार्च, २००६ को नयी दिल्ली में जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह ने असैन्य परमाणु सहकारी समझौते पर दस्तखत किये । ३ अगस्त, २००७ को दोनों देशों ने १२३ समझौते का विवरण साझा किया । भारत-अमरीकी परमाणु समझौते में मुख्य वार्ताकार निकोलस बर्न्स ने यह ज़ाहिर किया की अगर भारत किसी तरह के परमाणु हथियार का परिक्षण करता है तो

अमेरिका को यह समझौता निरस्त करने का पूरा अधिकार है तथा इस समझौते के अनुसार भारत परमाणु हथियार से लैस राज्य नहीं है, जो की एन.पी.टी. के विरुद्ध था ।

भारत में प्रतिरोध:-

वर्तमान स्थिति इस वार्ता के सन्दर्भ में विपक्ष और कई सहयोगी दलों के भारी विरोध को दर्शाती है ।

भारत में इसका विरोध क्यों हो रहा है?

निसंदेह भारतीय नेशनल कांग्रेस जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजनैतिक दल और डी.एम.के. तथा आर.जे.डी. जैसे क्षेत्रीय दल इसका समर्थन करते आ रहे लेकिन फिर भी इसे भारी राजनैतिक विरोध की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा ।

नवंबर २००७ में कई भूतपूर्व सैनिक प्रमुख, नौकरशाहों एवं वैज्ञानिकों ने लोकसभा सांसदों को इस समझौते के लिए समर्थन पत्र लिख कर भेजा । यद्यपि विपक्ष का राजनैतिक स्तर पर विरोध जारी रहा । समाजवादी पार्टी वामपंथी दलों के साथ होते हुए भी इस समझौते के प्रति अपना रुख भूतपूर्व वैज्ञानिक एवं परमाणु वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से चर्चा करने के बाद बदल लिया । इस मुद्दे पर SP का सरकार को और इस समझौते को लेकर पूरा समर्थन है । प्रमुख विपक्षी दल यानि की भारतीय जनता दल ने इस समझौते की आलोचना करते हुए कहा की यह समझौता अपने वर्तमान रूप में अस्वीकरणीय है तथा इस पर पुनर्विचार की ज़रूरत है । BJP ने संसद में सरकार से यह भी मांग करी है की संसद में बिना बहुमत के इस समझौते को मान्यता न दी जाये । यद्यपि सरकार इस समझौते को लेकर प्रतिबद्ध है तथा इससे पीछे न हटने का फैसला लिया है जिससे देश में मध्यावधि चुनाव की भूमिका बन रही है ।

वामपंथी दल: परमाणु समझौते के प्रतिरोध का मुख्य केंद्र भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और CPI, RSP, AIFB जैसे मैत्री दल हैं । वामपंथी दलों ने १७ नवंबर को सरकार को IAEA से वार्ता करने हेतु अस्थायी समर्थन दिया ।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन: UPA में अभी इस समझौते को लेकर विभाजित मत है । एक तरफ जहाँ सपा ने डॉ. कलाम से चर्चा करने के बाद इसे समर्थन दिया है वहीं दूसरी तरफ TDP के कुछ सदस्यों ने इसे भारत के हित में न बताते हुए इसका विरोध किया । सरकार को बाहरी समर्थन दे रही CPI (M) ने यह भी ज़ाहिर किया की एनपीटी तथा CBPT के अनुच्छेदों के विरुद्ध कई इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है । कारणवश, वामपंथी दलों ने ८ जुलाई को औपचारिक रूप से UPA सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया ।

बहुजन समाज पार्टी : बसपा ने भी इस समझौते को मुस्लिम-विरोधी बताते हुए इसका प्रतिरोध किया | साथ ही साथ बसपा ने TDP और वामपंथी दलों से हाँथ मिलाकर संसद में सरकार के खिलाफ खड़े होने का फैसला लिया है |

अन्य:- २००६ में कुछ भूतपूर्व भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों ने सांसदों को एक पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया की 'वर्तमान में लिए गए किसी भी निर्णय से भविष्य में भारत की परमाणु व्यवस्था के विकास में कोई रोक न आये' | कई राजनैतिक एवं वैज्ञानिक शख्सियतों ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है की अगर भारत की विदेश निति अमेरिका के भूराजनैतिक हित के अनुरूप नहीं हुई तो अमेरिका के लिए यह भारत-अमरीकी परमाणु समझौता एक कूटनीतिज्ञ हथियार जैसा है |

ऐसी अनिश्चिता की घड़ी में देश के नेताओं के बीच मौजूदा मतभेद ने एक नाजुक मोड़ ले लिया है। जहाँ एक तरफ भारत को स्वावलम्बी तथा संगठित राज्य प्रदर्शित कर उसे राष्ट्र मंडल में जगह दिलाने, वैश्वीकरण का भरपूर फायदा उठाने, आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में अग्रसर होने तथा इसी आधुनिकरण का इस्तेमाल भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में करने का अभिमत है, वहीं दूसरी तरफ यह राष्ट्र की प्रभुता और उसकी स्वाधीनता को भी चुनौती देता है |

१९ जून २००८ को भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एलान किया की वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर वामपंथी दलों ने (जो की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा हैं) इस समझौते का विरोध करना बंद नहीं किया क्योंकि बकौल मनमोहन सिंह वामपंथी दलों का यह रुख तर्कहीन तथा उन्नति रोधक है |

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी साफ़ कर दिया की अगर UPA सरकार विपक्ष द्वारा सदन में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने में असमर्थ होती है तो वह IAEA के साथ किसी भी तरह के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे | फलतः ऐसे मुश्किल वक़्त में UPA सरकार पहली बार विश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन एकत्रित करने की कगार पर खड़ी है |

इस पूरे विषय पर जो भी मत होगा उसकी अहमियत मनमोहन सिंह के प्रशासन और उनकी नीतियों से ज़्यादा है क्योंकि अब उनकी साख इसी पर टिकी है |